[2019] 9 एस. सी. आर 1101

/

द ऑफ़िसर इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफ़िस और ए. एन. आर.

बनाम

मेसर्स गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड (2019 की सिविल अपील संख्या 5821) 24 जुलाई, 2019

/

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952:

/

धारा 7-ए, 2 (एफ)-कर्मचारी-परिभाषा-कपड़ों के उत्पादन में लगी कंपनी, नियोजित महिला श्रमिक-श्रमिकों ने कंपनी द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपने घरों में कपड़ों को सिलने के लिए कच्चा माल-फैब्रिक, धागा, बटन प्रदान किए और श्रमिकों ने उन्हें कंपनी को प्रदान किया-श्रमिक, यदि कर्मचारी यू/एस की परिभाषा के तहत आते हैं।2(च)-आयोजितः"कर्मचारी" यू/एस की परिभाषा। 2(च) किसी प्रतिष्ठान के काम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को शामिल करता है, और उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है-महिला श्रमिकों को कंपनी के काम के संबंध में सीधे मजदूरी के लिए लगाया गया था-उन्हें हर कपड़े के सिलाई के लिए कंपनी द्वारा सीधे प्रति टुकड़े के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता था-केवल इसलिए कि महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी गई थी, कंपनी के कर्मचारियों के रूप में उनका दर्जा नहीं लिया जाएगा-इसके अलावा, कंपनी को किसी भी दोष के मामले में तैयार उत्पाद को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार था-इस प्रकार, महिला श्रमिकों को "कर्मचारी" यू/एस की परिभाषा द्वारा कवर किया जाता है।2(च)-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि कर्मचारी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं, निर्धारित अवधि के भीतर श्रमिकों के भविष्य निधि बकाया के लिए राशि जमा करने के लिए अलग रखा गया है।

/

/

/

ई. पी. एफ. अधिनियम की व्याख्या-आयोजितःकर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है, जिसे श्रमिकों के लाभ के लिए विधानमंडल

द्वारा अधिनियमित किया गया है-इस प्रकार, प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए, जो श्रमिकों के लिए फायदेमंद हो।

/

/

1101 ए.

1102 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1** कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम**, 1952** एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है जिसे विधायिका द्वारा श्रमिकों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था।इसलिए**,** ई**.** पी**.** एफ**.** अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो श्रमिकों के लिए फायदेमंद हो।**[**पैरा **6.8] [1112**-सी-डी**]**

/

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम हुगली मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य। 2012 (1) स्केल

422:[2012] 1 एस. सी. आर. 363; द डेली पार्टेप बनाम द

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश,

/

चंडीगढ़ (1998) 8 एस. सी. सी. 90:[1998] 2 पूरक।एस. सी. आर. 482-संदर्भित।

1.2 ई**.** पी**.** एफ**.** अधिनियम की धारा **2 (**एफ**)** के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है**,** और व्यापक रूप से किसी प्रतिष्ठान के काम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से कहा जाता है**,** और उन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है।**[**पैरा **6.1,6.9] [1107**-डी-ई**; 1112**-ई-एफ**]**

/

1.3 तत्काल मामले में**,** प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित महिला श्रमिकों को प्रतिवादी-नियोक्ता से सभी कच्चा माल**,** जैसे कपड़े**,** धागा**,** बटन आदि प्रदान किए गए थे।इस सामग्री के साथ**,** महिला श्रमिकों को प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार कपड़ों को सिलना आवश्यक था। महिला कर्मचारी अपने घरों में कपड़ों की सिलाई कर सकती थीं और उन्हें प्रतिवादी कंपनी को प्रदान कर सकती थीं।प्रतिवादी कंपनी को किसी भी दोष के मामले में तैयार उत्पाद यानी कपड़ों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार था।इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला कर्मचारी घर पर ही कपड़े सिलती थीं।यह स्वीकार की गई स्थिति है कि महिला श्रमिकों को प्रत्येक परिधान

सिलाई के लिए प्रति टुकड़े के आधार पर प्रतिवादी कंपनी द्वारा सीधे मजदूरी का भुगतान किया जाता था।इस प्रकार, प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियोजित महिला श्रमिकों को ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा **2 (**एफ**)** के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा द्वारा कवर किया जाता है। **[**पैरा **6.2,3,6.7] [1107-**ई-एच**; 1108-**ए**; 1112-**बी**]** ए

/

/

/

/

1103

ऑफिस इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस बनाम एम/एस गोदावरी गार्डन लिमिटेड।

मेसर्स पी. एम. पटेल एंड संस और अन्य बनामभारत संघ और

ओआरएस. (1986) 1 एससीसी 32:[1985] 3 पूरक।एस. सी. आर. 55; सिल -

वर् जुबली टेलरिंग हाउस एंड ओआरएस. वी.दुकानों और प्रतिष्ठानों और अन्य का मुख्य निरीक्षण। (1974) 3 एससीसी

498 :[1974] 1 एससीआर 747; शाइनिंग टेलर्स बनाम औद्योगिक

न्यायाधिकरण **II,** यू. पी.**,** लखनऊ और अन्य। **(1983) 4** एससीसी **464**

/

- संदर्भित किया गया।

1.4 महिला श्रमिकों को निश्चित रूप से प्रतिवादी कंपनी के काम के संबंध में मजदूरी के लिए नियुक्त किया गया था।महिला श्रमिकों को उत्तरदाता कंपनी के काम के संबंध में प्रबंधन द्वारा सीधे नियुक्त किया गया था**,** जिसे एक तैयार वस्त्र उद्योग के रूप में स्थापित किया गया था।महिला श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति टुकड़े के आधार पर मजदूरी दी जाती थी।केवल इसलिए कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल से बाहर काम करने की अनुमति दी गई थी**,** वे प्रत्यर्थी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में उनकी स्थिति को नहीं छीनेंगी।**[**पैरा **6.9] [1112-**एफ**]**

/

/

1.5 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।अपीलार्थी सं**. 1** द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया गया है।प्रत्यर्थी कंपनी को महिला श्रमिकों के भविष्य निधि

बकाया के लिए अपीलकर्ता संख्या **1** द्वारा निर्धारित राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश दिया जाता है।**[**पैरा **8] [1113-**जी**]**

/

C.E.S.C. लिमिटेड और ओआरएस. v.सुभाष चंद्र बोस

और ओआरएस। (1992) 1 एससीसी 441:[1991] 2 पूरक।एस. सी. आर. 267-लागू नहीं होता है।

संदर्भित निर्णय

[1974] 1 एस**.** सी**.** आर**. 747** पैरा **6,4 (1983) 4** एस**.** सी**.** सी**. 464** पैरा **6,5 [1985] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 55** पैरा **6.6 [1985] 3** सप्लीमेंट पर निर्भर था।एस**.** सी**.** आर**. 55** पैरा **6.6 [2012] 1** एस**.** सी**.** आर**. 363** पैरा **6.8 [1998] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 482** पैरा **6.8 [1991] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 267** लागू नहीं होने योग्य पैरा **7**

/

/

/

1104

/

[2019] 9 एस सी आर।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2019 की सिविल अपील संख्या 5821

1993 की रिट याचिका संख्या 1615 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2012 से, औरंगाबाद की पीठ

/

आर. आर. राजेश, ब्रजेश कुमार, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

अनूप कंदारी, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

इंदू मल्होत्रा**,** जे**.**

देरी को माफ कर दिया गया।

अनुमति दी गई।

1. वर्तमान दीवानी अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय , औरंगाबाद पीठ द्वारा 1993 के डब्ल्यू. पी. संख्या 1615 में पारित आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है।

/

2. जिन पृष्ठभूमि तथ्यों में वर्तमान दीवानी अपील दायर की गई है, उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया हैः

2.1.प्रतिवादी कंपनी मराठवाड़ा विकास निगम की एक सहायक कंपनी है, जो महाराष्ट्र सरकार का एक उपक्रम है।यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (इसके बाद "ई. पी. एफ. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अंतर्गत 01.01.1979 से प्रभावी था।

/

/

2.2.प्रत्यर्थी कंपनी का मुख्य उद्देश्य, अपने संगठन के ज्ञापन के अनुसार, मराठवाड़ा क्षेत्र में एक तैयार वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, विकसित करना, स्थापित करना या स्थापित करना था, ताकि सिलाई, सिलाई और संबद्ध गतिविधियों में कौशल रखने वाले लोगों को, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान किया जा सके।

/

2.3.प्रतिवादी कंपनी ने उन महिला श्रमिकों को नियुक्त किया जिन्हें अपने घरों में कपड़े बनाने के लिए कटे हुए कपड़े, धागे, बटन आदि प्रदान किए गए थे।सिलाई ए

/

1105

ऑफ़िसर इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफ़िस बनाम एम./एस. गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

महिला श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीनें उनके स्वामित्व में थीं, और उत्तरदाता कंपनी द्वारा प्रदान नहीं की गई थीं।

2.4.<आई. डी. 1 पर, उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, अपीलार्थी संख्या 1 ने प्रतिवादी कंपनी को महिला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि योगदान का भुगतान करने के लिए एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया।वर्ष 1988-89 के लिए प्रत्यर्थी कंपनी के तुलन पत्र में प्रत्यक्ष और

अप्रत्यक्ष श्रमिकों के वेतन और मजदूरी के लिए बड़े डेबिट का खुलासा किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी कंपनी ने एक गलत बयान दिया कि उसके पास केवल 41 कर्मचारी थे।

/

/

2.5.30.11.1992 पर, अपीलकर्ता संख्या 1 ने ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 7-ए के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई के लिए प्रतिवादी कंपनी को समन जारी किया।

2.6.प्रत्यर्थी कंपनी के प्रतिनिधि अपीलकर्ता संख्या 1 के समक्ष पेश हुए और तर्क दिया कि जो महिला कर्मचारी प्रत्यर्थी कंपनी के लिए कपड़े बना रही थीं, वे उनकी कर्मचारी नहीं थीं, और इसलिए ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए, भले ही उन महिला श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया गया था, लेकिन प्रतिवादी कंपनी उनके संबंध में भविष्य निधि योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी।

/

/

2.7.भविष्य निधि अधिकारी-अपीलार्थी सं. 1 ने दिनांकित 19.04.1993 आदेश के माध्यम से अभिनिर्धारित किया कि कपड़ों की सिलाई में लगी महिला श्रमिकों को ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया था। रु. की राशि। 15,97,087-नवंबर, 1979 से फरवरी, 1991 तक की अवधि के लिए प्रत्यर्थी कंपनी के भविष्य निधि बकाया के लिए मूल्यांकन किया गया था।प्रतिवादी कंपनी को 7 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।2.8.प्रत्यर्थी कंपनी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 का डब्ल्यू. पी. संख्या 1615 दाखिल करके उपरोक्त आदेश को चुनौती दी।

/

/

बॉम्बे उच्च न्यायालय , औरंगाबाद पीठ ने अंतिम निर्णय और दिनांक 27.04.2012 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुज्ञात , और

/

अपीलार्थी सं. 1 द्वारा पारित दिनांकित 19.04.1993 आदेश।यह अभिनिर्धारित किया गया कि महिला श्रमिकों पर प्रत्यर्थी कंपनी का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था।कपड़ों को परिधान में बदलना महिला श्रमिकों की ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता था।इसलिए, प्रतिवादी कंपनी ने महिला श्रमिकों पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं रखा।

/

2.9.उपरोक्त निर्णय से व्यथित, वर्तमान दीवानी अपील भविष्य निधि कार्यालय द्वारा दायर की गई है।

3. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है, और पक्षकारों द्वारा दायर अभिवचनों और लिखित प्रस्तुतियों पर विचार किया है।4. अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री आर. आर. राजेश ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित महिला कर्मचारी ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं।

/

/

मेसर्स पी. एम. पटेल के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

& बेटों और ओआरएस. वी.भारत संघ और अन्य। 1 यह तर्क देने के लिए कि

प्रत्यर्थी कंपनी द्वारा नियोजित महिला श्रमिकों को ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा द्वारा कवर किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी कंपनी उन महिला श्रमिकों के संबंध में भविष्य निधि योगदान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

/

5. प्रत्यर्थी कंपनी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री अनूप कंदारी ने कहा कि प्रत्यर्थी कंपनी और महिला श्रमिकों के बीच कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं था।महिला कर्मचारी ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत कर्मचारी नहीं थीं। वे स्वतंत्र ठेकेदार थे।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि महिला श्रमिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सिलाई मशीनें उनके स्वामित्व में थीं, न कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा प्रदान की गई थीं।महिला कर्मचारी अपने घरों से काम करती थीं, न कि उत्तरदाता कंपनी के उत्पादन केंद्रों में।इसलिए, उनके द्वारा किया गया काम उनके रिश्तेदार या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति कर सकता था।इसके अलावा, महिला श्रमिकों को नियमित रूप से उत्पादन केंद्रों में रिपोर्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, न ही उन्हें उत्पादन केंद्रों में काम करने की आवश्यकता होती थी।प्रतिवादी कंपनी ने महिला श्रमिकों पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया।

/

/

1 (1986) 1 एससीसी 32.

/

1107

ऑफिस इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस बनाम एम/एस गोदावरी गार्डन लिमिटेड। ए.

/

6. विचार के लिए जो छोटा मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित महिला कर्मचारी ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा के दायरे में आती हैं या नहीं।ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) तैयार संदर्भ के लिए नीचे दी गई हैः

/

“(च) "कर्मचारी" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के काम में मजदूरी के लिए नियोजित है, और जो नियोक्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना वेतन प्राप्त करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है -

/

((i) प्रतिष्ठान के कार्य में या उसके संबंध में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित;

((ख) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) के अंतर्गत या प्रतिष्ठान के स्थायी आदेशों के अंतर्गत एक प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं;

/

(जोर दिया गया) 6.1।ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, और किसी प्रतिष्ठान के काम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से कहा जाता है।

/

6.2.वर्तमान मामले में, प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित महिला श्रमिकों को प्रतिवादी-नियोक्ता से सभी कच्चा माल, जैसे कपड़े, धागा, बटन आदि प्रदान किए गए थे।इस सामग्री के साथ, महिला श्रमिकों को प्रतिवादी कंपनी द्वारा दिए गए विनिर्देशों के अनुसार कपड़ों को सिलना आवश्यक था। महिला कर्मचारी अपने घरों में कपड़ों की सिलाई कर सकती हैं और उन्हें प्रतिवादी कंपनी को प्रदान कर सकती हैं।प्रतिवादी कंपनी को किसी भी दोष के मामले में तैयार उत्पाद यानी कपड़ों को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार था।

/

/

6.3.इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला कर्मचारी घर पर ही कपड़े सिलती थीं।यह एक स्वीकृत स्थिति है कि महिला श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी

/

1108

/

[2019] 9 एस सी आर।

प्रत्येक कपड़े के सिलाई के लिए प्रति टुकड़े के आधार पर सीधे प्रतिवादी कंपनी द्वारा।

6.4.वर्तमान मामले में मुद्दा पूरी तरह से कवर किया गया है

रजत जयंती सिलाई गृह और अन्य मामलों में इस न्यायालय का निर्णय।दुकानों और प्रतिष्ठानों के मुख्य निरीक्षक और

ओआरएस। 2 उसमें अपीलार्थी वस्त्रों के उत्पादन के व्यवसाय में लगे हुए थे।उन्होंने उन श्रमिकों को नियुक्त किया जिन्हें कपड़ा प्रदान किया गया था, और अपीलार्थियों द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया था कि इसे कैसे सिलना है।श्रमिकों को टुकड़ों में वेतन दिया जाता था।यदि कोई कर्मचारी निर्देशों के अनुसार कपड़े की सिलाई करने में विफल रहता है, तो अपीलकर्ताओं ने काम को अस्वीकार कर दिया, और कर्मचारी को कपड़े को फिर से सिलाई करने के लिए कहा।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे श्रमिक आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 की धारा 2 (14) के अंतर्गत "नियोजित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।यह माना गया था किः

/

/

“35. इन सभी परिस्थितियों के अलावा, क्योंकि नियोक्ता को अंतिम उत्पाद को अस्वीकार करने का अधिकार है यदि यह नियोक्ता के निर्देश के अनुरूप नहीं है और कर्मचारी को इसे पुनर्स्थापित करने का निर्देश देता है, तो इस न्यायालय के निर्णयों में तैयार किए गए नियंत्रण और पर्यवेक्षण का तत्व भी मौजूद है। "

/

/

(जोर दिया गया) 6.5।जिस मुद्दे पर श्रमिकों को भुगतान टुकड़ों में किया जाता है, क्या वे "कर्मचारी" की परिभाषा के दायरे में आएंगे?

शाइनिंग टेलर्स बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण II, यू. पी., लखनऊ और अन्य, 3 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

/

“5. हमने अभिलेख और विशेष रूप से न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज साक्ष्य का अध्ययन किया है। न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर एक स्पष्ट त्रुटि की है कि जब भी भुगतान टुकड़े दर से किया जाता है, तो स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं होता है और ऐसा संबंध केवल मूलधन और मूलधन के बीच हो सकता है और इसलिए, प्रतिवादी स्वतंत्र ठेकेदार थे।ईमानदारी से, हमें यह कहना होगा कि

/

2 (1974) 3 एससीसी 498। 3 (1983) 4 एससीसी 464।

/

ऑफ़िसर इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफ़िस बनाम एम/एस गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड। [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

/

न्यायाधिकरण ने टुकड़े की दर का अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझा है, यदि प्रत्येक टुकड़े का मूल्यांकन करने वाला श्रमिक एक स्वतंत्र ठेकेदार है, तो विभिन्न उद्योगों में लाखों और लाखों श्रमिक जहां भुगतान उत्पादन से संबंधित है, औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित 'श्रमिक' अभिव्यक्ति से अलग किए जाएंगे। अतीत में नियोक्ता और श्रमिकों के संबंधों को निर्धारित करने की परीक्षा नियंत्रण की परीक्षा थी न कि भुगतान की विधि।टुकड़े की दर का भुगतान जिसका अर्थ है उत्पादन से सहसंबद्ध भुगतान औद्योगिक श्रमिकों को भुगतान का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तरीका है।वास्तव में, जहां भी संभव हो, भुगतान के उस तरीके को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक ईमानदारी, दक्षता और एकनिष्ठ समर्पण हो जो नियोक्ता, श्रमिकों और बड़े पैमाने पर राष्ट्र दोनों के लिए फायदेमंद होगा।लेकिन अतीत में नियोजित परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए था कि नियोक्ता श्रमिकों पर कितना नियंत्रण रखता है।हालांकि, सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस और ओआरएस में समान स्थिति में।दुकानों और प्रतिष्ठानों के मुख्य निरीक्षक और ए. एन. आर. (1973) आई. आई. एल. एल. जे. 495 एस. सी. मेथ्यू, जे. ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि नियंत्रण विचार औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि समाज के लिए अधिक उपयुक्त था और पिछले दो दशकों के दौरान क्षेत्र में जोर स्थानांतरित हो गया है और अब नियंत्रण के प्रश्न पर विशेष रूप से या दृढ़ता से निर्भर नहीं है।यह आगे देखा गया कि एकल परीक्षण की प्रकृति में एक सूत्र की खोज उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, और विषयों पर मामलों में संदर्भित किए गए सभी कारकों को सेवा अनुबंध बताने के लिए माना जाना चाहिए।इस दृष्टिकोण से मामले को देखते हुए, न्यायालय ने कहा कि अंतिम उत्पाद को अस्वीकार करने का

नियोक्ता का अधिकार यदि यह नियोक्ता के निर्देशों के अनुरूप नहीं है, तो यह नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तत्व के लिए बोलता है।इसी तरह श्रमिक को हटाने या काम न देने के अधिकार में भी नियंत्रण और पर्यवेक्षण का तत्व होता है।यदि इन पहलुओं को निर्णायक माना जाता है, तो वे इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

/

/

/

/

/

/

/

न्यायाधिकरण ने विधि में अच्छी तरह से निर्धारित परीक्षण को नजरअंदाज कर दिया और यह दिखाकर खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया कि टुकड़ा दर स्वयं स्वतंत्र ठेकेदार के संबंध का संकेत देती है और रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि विभिन्न उद्योगों में विभिन्न व्यवसायों में भुगतान की विधि के बारे में ज्ञान की कुल कमी का खुलासा करती है।अस्वीकृति का अधिकार और काम से इनकार करने का अधिकार निश्चित रूप से मुख्य सेवक संबंध स्थापित करेगा और ये दोनों परीक्षण इस मामले के तथ्यों में पूरी तरह से संतुष्ट हैं।इस दृष्टिकोण से देखे जाने पर, उत्तरदाता नियोक्ता के कर्मचारी थे और इसलिए, अपीलार्थी-नियोक्ता की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति असमर्थनीय थी और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए था और हम इसके द्वारा इसे खारिज करते हैं। "

/

/

(जोर दिया गया)

6.6.मेसर्स पी. एम. पटेल एंड संस और ओआरएस बनामभारत संघ और

या, 4 उसमें अपीलार्थी बीड़ियों के निर्माण और बिक्री में लगे हुए थे।अपीलकर्ताओं ने ठेकेदारों को नियुक्त किया, और ठेकेदारों ने उन श्रमिकों को नियुक्त किया जो सीधे अपीलकर्ताओं से या ठेकेदारों के माध्यम से कच्चा माल प्राप्त करने के बाद अपने घरों में बीड़ियों को घुमाते थे। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे कर्मचारी ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत

"कर्मचारी" की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। इस न्यायालय ने उसमें अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि -

/

/

“8. … उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में "कर्मचारी" को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में किसी भी प्रकार के काम में, हाथ से या अन्यथा, मजदूरी के लिए नियोजित है, और जो नियोक्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना वेतन प्राप्त करता है, और इसमें प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कोई भी व्यक्ति शामिल है।” यह देखा जाएगा कि परिभाषा की शर्तें व्यापक हैं।इनमें न केवल नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति भी शामिल हैं।इसके अलावा, इनमें न केवल कारखाने में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि वे भी शामिल हैं।

/

/

4 (1986) 1 एससीसी 32.

/

1111

ऑफ़िसर इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफ़िस बनाम एम/एस गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड। [इंदु मल्होत्रा, जे.] ए.

/

कारखानाक काजक संबंधमे नियोजित लोक।हमें ऐसा लगता है कि एक गृह कर्मचारी, इस तथ्य के आधार पर कि वह बीड़ी लुढ़काता है, कारखाने के काम से जुड़ी गतिविधि में शामिल होता है।हम याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई संकीर्ण संरचना को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि "कर्मचारी" की परिभाषा में "संबंध में" शब्द निर्माण की कुल प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कारखाने में किए गए काम तक ही सीमित होने चाहिए।

/

..(ण) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में सेवा संबंधी मामलों" से उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित सभी मामले अभिप्रेत हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं: -

(i) पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते भी हैं), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे;

(ii) पदावधि, जिसके अंतर्गत कमीशन, नियुक्ति, अभ्यावेशन, परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, प्रतिवर्तन, समय-पूर्व सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, सेवा समाप्ति और शास्तिक कटौतियां;

(iii) संक्षिप्त निपटारा और विचारण जहां पदच्युति का दंड अधिनिर्णीत किया गया है;

(iv) कोई अन्य विषय, चाहे जो भी हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले नहीं हैं-

(i) सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 18, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 15 की उपधारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) की धारा 18 के अधीन जारी किए गए आदेश; और

(ii) स्थानांतरण और तैनातियां जिनके अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) और वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन व्यक्तियों से संबंधित तैनाती पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन भी है चाहे वह व्यष्टिक रूप में या यूनिट घटक या पोत के भाग के रूप में हो;

(iii) किसी प्रकार की छुट्टी;

(iv) समरी सेवा न्यायालय, वहां के सिवाय, जहां दंड पदच्युति या तीन मास से अधिक के कारावास का है;

.

10. पहले निर्धारित की गई शर्तों और परिस्थितियों के संदर्भ में जिसमें एकल निर्माता के घरेलू कर्मचारी अपने काम के बारे में जाते हैं, जिसमें कच्चा माल प्राप्त करना, घर पर बीड़ियों को रोल करना और उन्हें निर्माता के पास पहुँचाना शामिल है, जो अस्वीकार करने के अधिकार के अधीन है, निर्माता और घरेलू कर्मचारी के बीच स्वामी और नौकर के संबंध को स्थापित करने के लिए आवश्यक स्तर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का पर्याप्त प्रमाण है।यह याद रखना चाहिए कि रोलिंग बीड़ी का काम परिष्कृत प्रकृति का नहीं है, जिस समय काम किया जाता है उस समय नियंत्रण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है।यह एक सरल ऑपरेशन है, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, हजारों अनपढ़ श्रमिकों द्वारा संतोषजनक रूप से किया गया है।यह एक ऐसा कार्य है जिसे युवा और बूढ़े, पुरुष और महिलाएँ समान सुविधा के साथ कर सकते हैं और इसके लिए उच्च कौशल की आवश्यकता नहीं होती है।परिस्थितियों में, अस्वीकृति का अधिकार अपने आप में पर्यवेक्षण और नियंत्रण की एक प्रभावी डिग्री का गठन कर सकता है।हम यह इंगित कर सकते हैं कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि अस्वीकृति गृह कार्यकर्ता की उपस्थिति में होती है।हालाँकि, यह कारक स्वामी और सेवक के संबंध के अस्तित्व को निर्धारित करने में केवल सहायक भूमिका निभाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बीड़ी रोलिंग में व्यक्तिगत सेवा का कोई तत्व नहीं है और यह एक

गृह कार्यकर्ता के लिए अपने परिवार के एक या दूसरे सदस्य द्वारा घर पर काम कराने के लिए खुला है।तत्व का

/

/

/

/

/

/

1112 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

हमें ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत सेवा का बहुत कम महत्व है जब नियंत्रण और पर्यवेक्षण की कसौटी अस्वीकृति के अधिकार में निहित है। "

(जोर दिया गया) 6.7।उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा नियोजित महिला कर्मचारी ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा के दायरे में आती हैं।

/

6.8.ई. पी. एफ. अधिनियम एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है जिसे विधानमंडल द्वारा लोगों के लाभ के लिए अधिनियमित किया गया था।

/

मजदूर।5 इस न्यायालय ने दैनिक प्रताप बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़, 6 में अभिनिर्धारित किया किः“9. … यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रश्न अधिनियम, समाज के कमजोर वर्गों, अर्थात् श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक लाभकारी सामाजिक कल्याण कानून है, जिन्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करने के बाद मिलने वाले अल्प वेतन से अपनी आजीविका चलानी पड़ती थी। "

/

इसलिए, ई. पी. एफ. अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो श्रमिकों के लिए फायदेमंद हो।

/

6.9.वर्तमान मामले में, महिला श्रमिकों को निश्चित रूप से प्रतिवादी कंपनी के काम के संबंध में मजदूरी के लिए नियुक्त किया गया था।धारा 2 (च) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है, और इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो प्रतिष्ठान के काम के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, और जिन्हें मजदूरी का भुगतान किया जाता है।वर्तमान मामले में, महिला श्रमिकों को प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी कंपनी के काम के संबंध में सीधे नियुक्त किया गया था, जिसे मराठवाड़ा में एक तैयार वस्त्र उद्योग के रूप में स्थापित किया गया था।महिला श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए प्रति टुकड़े के आधार पर मजदूरी दी जाती थी।केवल इसलिए कि महिला श्रमिकों को कार्यस्थल से बाहर काम करने की अनुमति दी गई थी, वे प्रत्यर्थी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में उनकी स्थिति को नहीं छीनेंगी।

/

/

5 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाम हुगली मिल्स कंपनी

लिमिटेड और अन्य, 2012 (1) स्केल 422। 6 (1998) 8 एससीसी 90।

/

1113

ऑफ़िसर इन चार्ज, सब-रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफ़िस बनाम एम/एस गोदावरी गारमेंट्स लिमिटेड। [इंदु मल्होत्रा, जे.]

/

7. प्रत्यर्थी कंपनी ने इस न्यायालय पर भरोसा किया

C.E.S.C. लिमिटेड और ओआरएस. वी. में निर्णय।सुभाष चंद्र बोस और

अन्य, 7 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

“14. … पाठगत अर्थों में प्रधान नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि का 'पर्यवेक्षण' परिकल्पित स्थानों पर 'कार्य' पर होता है और 'कार्य' शब्द को न तो वह इतने व्यापक रूप से कार्य की स्वीकृति या अस्वीकृति का अंतिम कार्य समझ सकता है, न ही इतना संकीर्ण रूप से कि काम के हर स्तर पर और हर चरण पर पर्यवेक्षण हो।एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण ही अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा, जिसका अर्थ होगा दोनों चरम सीमाओं को कम करना।जब कर्मचारी को प्रधान नियोक्ता या उसके अभिकर्ता की नजरों अंतर्गत काम करने के लिए रखा जाता है, जहां काम के दौरान उसे गुप्त रूप से, दुर्घटनावश या कभी-कभी देखा जा सकता है, ताकि उसकी गुणवत्ता की जांच की जा सके और उसअंतर्गत खामियों का पता लगाया जा सके, साथ ही दिए गए निर्देशों द्वारा समय पर उपचारात्मक उपाय किए जाएं, जिससे अंत अंतर्गत काम को संतोषजनक रूप से पूरा किया जा सके और उसे स्वीकार किया जा सके, तो हमारे विचार अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 (9) के उद्देश्यों के लिए पर्यवेक्षण होगा।

/

/

/

हालाँकि, C.E.S.C. लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय नहीं है।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।उस मामले में, इस न्यायालय ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 2 (9) की परिभाषा में उपयोग किए गए "पर्यवेक्षण" शब्द के अर्थ की व्याख्या की।हालाँकि, ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत "कर्मचारी" की परिभाषा में कहीं भी "पर्यवेक्षण" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। पी. एम. पटेल (उपरोक्त) में निर्णय का उपयोग कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत "पर्यवेक्षण" शब्द की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त शब्द का उपयोग ई. पी. एफ. अधिनियम की धारा 2 (एफ) में नहीं किया गया है। 8.उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.04.2012 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से पारित निर्णय , तय किए गए विधि के विपरीत होने के कारण, रद्द कर दिया गया है।

/

/

अपीलार्थी सं. 1 द्वारा पारित दिनांकित 19.04.1993 आदेश को बहाल कर दिया गया है।प्रत्यर्थी कंपनी को इस निर्णय की तारीख से 1 महीने के भीतर महिला श्रमिकों के भविष्य निधि बकाया के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

/

7 (1992) 1 एससीसी 441।

/

1114 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

/

सिविल अपील की अनुज्ञात उपरोक्त शर्तों में दी गई है।सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/

/

/

/

/

/